

To Increase the Income Limit

15 Sh. RAKESH DAULTABAD (Badshahpur):

Will the Chief Minister be pleased to state:-

- a) The budget allocation for each scheme under the Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation;
- b) The income limit of the various bank tie-up scheme under the Haryana Scheduled Caste Finance and Development Corporation;
- c) Whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the income limit of the bank tie-up scheme to the BPL limit of Rs. 1.8 lakhs?

Sh. Manohar Lal Khattar

Chief Minister, Haryana

REPLY

Sir,

- a) During the financial year 2022-23, the Government of Haryana has made provision of an amount of Rs. 10.00 crore as Administrative Subsidy to meet the annual administrative expenses in the Corporation and an amount of Rs. 05.00 lacs to provide subsidy to the Safai Karamcharis and their dependents in the schemes being implemented in collaboration with National Safai Karamchari Finance & Development Corporation. The fund for other schemes is demanded from National Scheduled Castes Finance & Development Corporation and National Safai Karamchari Finance & Development Corporation against State Government Guarantee.
- b) The Corporation is provides financial assistance under Bank tie-up schemes to those beneficiaries whose annual income is Rs. 49,000/-**(in rural areas)** & Rs. 60,000/- **(in urban areas)** and their name appears in BPL list also.
- c) Yes, the matter is under consideration with the Government of Haryana.

आय सीमा बढ़ाना

15. श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर):

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- (क) हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम के अंतर्गत प्रत्येक योजना के लिए आवंटित बजट कितना है;
- (ख) हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम के अंतर्गत विभिन्न बैंको की टाई-अप योजना की आय सीमा कितनी है; तथा
- (ग) क्या बैंको की टाई-अप योजना की आय सीमा को 1.80 लाख रुपये की बी.पी.एल. सीमा तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मनोहर लाल खट्टर

मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार

उत्तर

महोदय जी,

- (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, हरियाणा सरकार द्वारा निगम के प्रशासनिक खर्चों के रूप में 10.00 करोड़ रुपये और सफाई कर्मचारी व उनके आश्रितों को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान राशि उपलब्ध करवाने के लिए 05.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अन्य योजनाओं के लिए राशि की मांग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम से राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के विरुद्ध की जाती है।
- (ख) निगम द्वारा बैंक टाई-अप योजनाओं के अंतर्गत उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है जिनकी वार्षिक आय 49,000 रुपये (ग्रामीण क्षेत्र में), 60,000 रुपये (शहरी क्षेत्र में) और जिनका नाम बीपीएल की सूची में भी शामिल है।
- (ग) हां, यह मामला हरियाणा सरकार के विचाराधीन है।